

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

विज्ञापन सं० 3876 / उ.प्र. रेरा-विधि सहा. / 2025-26

दिनांक: 08/04/2025

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (उ.प्र. रेरा) में विधि सहायक / विधि अधिकारी पदनाम
प्रस्तावित के विज्ञापन की सूचना

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय लखनऊ में न्यायिक कार्यों को भली प्रकार संपादित करने एवं हितधारकों को त्वरित अनुतोष प्रदान करने के कार्य में विधिक सहयोग प्रदान करने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 10-02-2024 में पद हेतु निर्धारित योग्यता / अर्हता निम्नवत् है:-

पदनाम	वेतनमान	पद हेतु योग्यता एवं अर्हता	नियुक्ति का स्रोत	पद की संख्या
विधि सहायक / विधि अधिकारी पदनाम प्रस्तावित	44900-142400 वेतन मैट्रिक्स लेवल-7	किस्सी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से विधि स्नातक एवं किस्सी सरकारी संगठन में कम-से-कम 03 वर्ष तक वाद / न्यायिक कार्य करने का अनुभव। कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता।	प्रतिनियुक्ति / पुनर्नियोजन	01

उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस पद की सेवा शर्तें तथा आवेदन का प्रारूप उ.प्र. रेरा की वेबसाइट <https://up-rera.in> पर दिनांक 11-04-2025 से उपलब्ध रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. रेरा की वेब की वेबसाइट <https://www.up-rera.in> के Career लिंक पर जाकर दिनांक 11-04-2025 से दिनांक 30-04-2025 की सांय 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।


सूचिव

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

संख्या: 3876(1)/यू.पी.रेरा/विधि सहा./2025-26

दिनांक: 08/04/2025

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय लखनऊ में विधि सहायक/विधि अधिकारी पदनाम प्रस्तावित की सेवाएं प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् निर्धारित की गयी हैं:-

- 1- प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित किये जा रहे पद पर पुनर्नियोजन के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष के मध्य होनी चाहिए एवं दिनांक 01-04-2025 एवं आवेदन की अंतिम तिथि को 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 2- प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित किये जा रहे पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
- 3- प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद में प्रतिनियुक्ति के संदर्भ में शासकीय नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। आवेदक पत्र के साथ साक्षात्कार की तिथि को नियोक्ता/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनिक जाँच एवं सर्तकता जाँच प्रचलित नहीं है।
- 4- प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद में पुनर्नियोजन के माध्यम से चयनित कार्मिक को अधिकतम 05 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो, तक आबद्ध किया जायेगा।
- 5- पुनर्नियोजन की दशा में अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय से चिकित्सीय परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6- प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन की दशा में वेतन/मानदेय का भुगतान उ.प्र. राज्य के कार्मिकों हेतु विद्यमान नियमों के अनुरूप किया जायेगा।
- 7- प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद के सापेक्ष प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में चयन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही की सूचना अभ्यर्थियों के ईमेल/मोबाईल नम्बर पर दी जायेगी एवं उ.प्र. रेरा की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।
- 8- किसी या सभी आवेदन पत्रों को बगैर कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष, प्राधिकरण में निहित होगा।
- 9- केवल अर्ह एवं शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

10- प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के निमित्त विज्ञापित पद हेतु निर्दिष्ट वेतनमान एवं वेतन मैट्रिक्स के पद धारक ही अर्ह होंगे।

11- प्राधिकरण द्वारा विज्ञापित पद के सापेक्ष अभ्यर्थियों के किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत पत्राचार को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि आवेदन के उपरांत किसी भी प्रकार की सूचना हेतु वेबसाइट एवं अपनी ईमेल आई.डी. को नियमित रूप से देखे।

12- इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. रेरा की वेबसाइट <https://www.up-rera.in> के CAREER लिंक पर जाकर दिनांक: 11-04-2025 से दिनांक: 30-04-2025 की सांय 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।


(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव